कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिला–जामताड़ा के रिक्त

पूर्णकालिक शिक्षिका पदों में चयन हेतु सूचना

1. विभागीय आदेश संख्या GE/08/163/2022-23/2835 दिनांक 03/11/2022 के आलोक में जामताड़ा जिला में संचालित 04 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर इच्छुक योग्य एवं अहर्ताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 30/05/2023 के अपराह्न 05:00 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय जामताड़ा में आमंत्रित किए जाते हैः–

Sl No	Name of Post	Vacancy	Roster					Total
			UR	BC-I	BC-II	SC	ST	
1	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – भाषा	2	1	0	0	0	1	2
2	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – गणित	2	0	0	0	0	2	2
3	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – विज्ञान	2	0	0	0	0	2	3

2. उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा जामताड़ा के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा जिला कार्यालय, समग्र शिक्षा अभियान जामताड़ा (SSA) Third Floor Block-C, Combined Building, Jamtara - 815351 में अनिवार्य रूप से दिनांक 30.05. 2023 को अपराह्न 05.00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त हो जाना है। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

3. चयन हेतु अहर्ता एवं निर्धारित परिलब्धि –

क्र.	पदनाम	वांछित अहर्ता	देय परिलब्धि
1	भाषा शिक्षिका (हिन्दी/अंग्रेजी)	1. **शैक्षणिक अहर्ता** :– I. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका यथा क्रमांक 1,2, एवं 3 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक की अहर्ता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यार्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। 2. **प्रशैक्षणिक अर्हता** – मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी.एड. अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता। शारीरिक शिक्षिका के लिए Bachelor in Physical Education/ Degree in Physical Education अनिवार्य होगा। 3. **शिक्षक पात्रता परीक्षा** :– राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में अत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा TET की वैधता आजीवन मान्य किया गया है।	1. शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रू 15840/– प्रतिमाह देय होगी। 03 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रतिमाह परिलब्धि में 50 प्रतिशत की वृद्धि देय होगी। 2. संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रू की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी।
2	गणित शिक्षिका		
3	विज्ञान शिक्षिका		

चयन संबंधी दिशा–निदेश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धरित शर्तें निम्नवत हैं–

1. चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे। पुरूष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. चयनित होने वाले शिक्षिकाओं की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक–एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा।
3. सभी पदो के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
4. आयु सीमा :–

i. चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 तथा अधिकतम उम्र 35 वर्ष होगी परन्तु उच्चतम उम्र में कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक संख्या 29 दिनांक 04.01.2021 झारखण्ड सरकार के आलोक में निम्नवत् होगी :–

Sl	Category	Maximum age Limit
1	Unreserved Category	35
2	Female (UR/EWS/BC-I/BC-II)	38
3	Extremely Backward classes (Annexure I)/Backward Classes (Annexure II)	37
4	SC/ST (Male and Female)	40
5	Person with bench mark disability (PWBD)	A relaxation of 10 years in their respective category.

ii. अनुभवी महिला Ex-Servicemen को अपनी कोटि में 05 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी।

iii. उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 01.08.2022 के आधार पर की जायेगी।

5. **आवेदन** :– सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 28.01.2023 के संध्या 05:00 बजे तक जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा (SSA) Third Floor Block-C, Combined Building, Jamtara - 815351 के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
6. प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्तें, अहर्ता एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं अन्य दिशा–निदेश जिला के अधिकारिक वेबसाईट "jamtara.nic.in" पर उपलब्ध है। चयन से संबंधित सभी दिशा–निदेश उपरोक्त वर्णित वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे तथा अभ्यथियों को निदेश दिया जाता है कि वे समय–समय पर जानकारी हेतु वेबसाईट का अवलोकन करते रहेंगे। उपरोक्त जानकारी "jamtara.nic.in" पर भी अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी।
7. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक :–

i. 23 x 10 से.मी. का स्व:पता लिखा हुआ दो लिफाफा।

ii. सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्वःअभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न की जाए।

iii. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र (झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति।

iv. झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति।

8. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा।

9. अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा।

10. अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित/रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेश अथवा जिले विशेष के चयन हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, जामताड़ा को सुरक्षित रहेगा।

11. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा। अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे।

12. अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

16.05.23

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
समग्र शिक्षा, जामताड़ा

15/05/23